न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–04 / 2014

1. जसवीर सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला–श्री गंगानगर(राज.) –मृतक
   1/1. मनजीत कौर पत्नी जसवीरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला–श्री गंगानगर(राज.)
   1/2 राजवीरकौर पुत्री जसवीरसिह जाति जटसिख निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला–श्री गंगानगर(राज.)
   1/3 हरपालसिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला–श्री गंगानगर(राज.)
   1/4 गुरविन्पाल कौर पुत्री जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला–श्री गंगानगर(राज.)
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र जबरजंगसिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला–श्री गंगानगर(राज.)
3. मेहरसिंह पुत्र बचनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला–श्री गंगानगर(राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम्

1 रेशमी पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली तहसील चोपटा तहसील सिरसा (हरियाणा)
2. मुन्नीदेवी पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली तहसील चोपटा तहसील सिरसा (हरियाणा)
3. सुमित्रा पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली तहसील चोपटा तहसील सिरसा (हरियाणा)
4. रामप्रताप पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली तहसील चोपटा तहसील सिरसा (हरियाणा)
5. चंदोदेवी पत्नी सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली तहसील चोपटा तहसील सिरसा (हरियाणा) (मृत्तक)
   5/1 शारदा पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली
   5/2 कमा पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली
   5/3 धापी पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली
   5/4 गंगा पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली
   5/5 बंतो पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली
   5/6 रूकमा पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली
   5/7 देवीलाल पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी गांव कैरावाली तहसील चोपटा तहसील सिरसा (हरियाणा)
6. ग्राम पंचायत चक–7 एस.जे.एम. जरिए सरपंच

——रेस्पोडेन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:36 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा–75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट वि[illegible]
आदेश न्यायालय ग्राम पंचायत चक 7 एस.जे[illegible]
प्रस्ताव संख्या–03 दिनांक–20.12.2013

::निर्णय:: **दिनांक–25.08.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटस द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 11 एसजेएम बी मुरब्बा नं.–272/379 हमारे पिता को आवंटित था।

हमारे पिता का देहांत हो चुका है। इसलिए उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल हमारे नाम से किया जावें। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टस को बिना सुने इंतकाल तस्दीक करने के आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्ती के है। जिसे आगे चल अपीलाधीन आदेश मे दर्ज कृषि भूमि कहा जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्टस को कोई सुनवाई का मौका नही दिया व ना ही अपीलाण्टस को कोई नोटिस दिया। अपीलाण्टस भूमि के खरीददार है जिनको नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती के हैं चक 11 एसजेएम का मुरब्बा नं.–272/379 के 25 बीघा में से किला नं. –6ता25 का 20 बीघा हरनेकसिंह पुत्र दयालसिंह जाति जटसिख तथा किला नं.–1ता5 कुल 05 बीघा जसविन्द्रसिंह पुत्र जबरंगसिंह, मेहरसिंह पुत्र बचनसिंह ने जरिए ईकरारनामा खरीद की है हरनेकसिंह का देहांत हो गया जिसके प्रथम श्रेणी के वारिस अपीलाण्ट सं.–1 जसवीरसिंह पुत्र हरनेकसिंह है। अपीलाण्टस ने अपीलाधीन आदेश में दर्ज कृषि भूमि को जरिए ईकरारनामा खरीद करने के बाद राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए के तहत ईकरारनामा का नियमन दिनांक 29.02.96 अनवान स्टेट बनाम् मलागरसिंह, प्रकरण सं.–226/94 के द्वारा शास्ति जमा करवा कर श्रीमान् जिला कलेक्टर श्री गंगानगर से नियमन आदेश व शास्ति जमा करवाने के चालान संलग्न अपील है। रेस्पोंडेंटस द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जो उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 23.03.2007 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा अपील सं.–68/2007 अनवानी प्रतापसिंह बनाम् बलविन्द्रसिंह निर्णय दिनांक 19.07.2010 को खारिज कर दी थी । मौका पर कब्जा अपीलाण्टस का है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु की कोई जांच नही की। इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय काबिले निरस्ती के है। अधीनस्थ न्यायालय ने लेण्ड रिकार्ड रूल्स–1957 के नियम 132 से 134 के नियमों की प्रक्रिया का पालन नही किया। इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय काबिले निरस्ती के है। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल तस्दीक करते समय यह कही अंकित नही किया कि सुरजाराम का देहांत कब हुआ। जिस तारीख का प्रमाण पत्र जारी किया उसका कॉलम सं.–14 व 16 में अंकन है जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र की तारीख अंकित होनी चाहिए। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विपरित होने के कारण काबिले निरस्ती के है। अधीनस्थ न्याायलय का आदेश एक तरफा आदेश है जिसका इल्म अपीलाण्टस का पटवारी हल्का से दिनांक–01.03.2014 को हुआ जिस पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 03.03.2014 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई। आदेश की नकल प्राप्त होने के बाद अपील बिना किसी देरी के अंदर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी की छूट हेतु प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकतरफा है जिसमे अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया है लेकिन अपीलाण्टस अपीलाधीन आदेश मे दर्ज कृषि भूमि पर सन् 1972–73 से काबिज है जरिए ईकरारनामा खरीददार है, नियमन धारा 13 उपनिवेशन अधिनियम मे अपीलाण्टस के हक में हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश [illegible] टस के हित प्रभावित होते है। इसलिए न्यायहित में अपील पेश करने की अनुमति [illegible] आवश्यक है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्टस [illegible] 1ता4 एवं 5/1 से 5/7 को जरिये सम्मन तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट न0 1ता4 एवं 5/1 से 5/7 श्री गुरतेजसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये। रैस्पोडेन्ट नं. 6 से नामान्तरणकरण चक 7 एसजेएम से प्रस्ताव सं. 3 दिनांक–20.12.2013 का रिकार्ड भी तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट नं. 6 द्वारा रिकार्ड पेश किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न पत्रावली कर मूल रिकार्ड पश्चात अवलोकन वापस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:36 IST
Reason: SelfAttested

लौटाया गया। प्रस्ताव संख्या–3 का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव सं.–3 का विवरण अग्रानुसार है– 'हल्का पटवारी 7 एसजेएम द्वारा चक 11 एसजेएम बी का इंतकाल नं.–84 मुरब्बा नं.–272/379 का 6.325 कमाण्ड वारिसन के आधार पर रेशमी–रामप्रताप, मुन्नी देवी–सुमित्रा पिसरान सुरजाराम 4/5 हि.ब.हि. शारदा कमा, देवी लाल धापी–गंगा रूकमा बंतो, चन्दोदेवी 1/5 हिस्सा बैठक में सदन की सहमति से स्वीकृत किया गया।'

बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये यह कथन किया कि चक 11 एसजेएम बी मुरब्बा नं.–272/379 प्रत्यर्थीगण के पिता को आवंटित था। प्रश्नगत भूमि के 25 बीघा में से किला नं.–6ता25 का 20 बीघा हरनेकसिंह पुत्र दयालसिंह जाति जटसिख तथा किला नं.–1ता5 कुल 05 बीघा जसविन्द्रसिंह पुत्र जबरंगसिंह, मेहरसिंह पुत्र बचनसिंह ने प्रत्यर्थीगण के पिता से जरिए ईकरारनामा खरीद की है। अपीलाण्टस ने अपीलाधीन आदेश में दर्ज कृषि भूमि को जरिए ईकरारनामा खरीद करने के बाद राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए के तहत ईकरारनामा का नियमन दिनांक 29.02.96 अनवान स्टेट बनाम् मलागरसिंह, प्रकरण सं.–226/94 के द्वारा शास्ति जमा करवा कर श्रीमान् जिला कलेक्टर श्री गंगानगर से नियमन आदेश व शास्ति जमा करवाने के चालान संलग्न अपील है। रेस्पोंडेंटस द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा–133 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जो उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 23.03.2007 को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा अपील सं.–68/2007 अनवानी प्रतापसिंह बनाम् बलविन्द्रसिंह निर्णय दिनांक 19.07.2010 को खारिज कर दी थी । मौका पर कब्जा अपीलाण्टस का है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु की कोई जांच नही की। अधीनस्थ न्यायालय ने लैण्ड रिकार्ड रूल्स–1957 के नियम 132 से 134 के नियमों की प्रक्रिया का पालन नही किया। इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय काबिले निरस्ती के है। अपीलाण्टस भूमि के खरीददार है जिनको नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती के हैं।

जवाब बहस में वकील प्रत्यर्थीगण ने कथन किया कि प्रत्यर्थीगण के पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल प्रत्यर्थीगण के नाम से दर्ज किया गया। जिसे दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की अनियमितता कारित नही की है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जावें।

पत्रावली पर संलग्न अपील मीमों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान द्वारा दौराने बहस उठाये गये बिन्दूओं पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। न्यायालय की राय में न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2007 एवं इसी निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर में प्रस्तुत अपील सं.–68/2007 अनवानी प्रतापसिंह बनाम् बलविन्द्रसिंह में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2[illegible] [illegible] से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कब्जा अपीलाण्टस का है एवं नामांतर[illegible] प्रत्यर्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं था। राजस्थान [illegible] के नियम 133 (ए) व 134 के तहत किसी कृषि भूमि का [illegible] किया जाना चाहिए, जबकि वास्तव में प्रश्नगत भूमि के कब्जे का हस्तांतरण हुआ हो। [illegible]कन अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे से संबंधित बिन्दु की जांच किये बगैर नामांतरण दर्ज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। इसके अतिरिक्त नामांतरण दर्ज किये जाने से पूर्व श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के मुकद्मा नं.–226/94 अनवान मिलागरसिंह बनाम् स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 29.02.1996 अन्तर्गत धारा 13 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1953 के द्वारा अपीलांटस के पक्ष में हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:36 IST
Reason: SelfAttested

नियमन आदेश पर भी विचार किया जाना अपरिहार्य है। अतः उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप न्यायालय की राय में अपीलांटस की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

::आदेश::

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 7 एस.जे.एम. पंचायत समिति अनूपगढ द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या–84/प्रस्ताव संख्या–03 दिनांक 20.12.2013 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह न्यायालय के उपर्युक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए एवं संबंधित समस्त पक्षकारों (जिसमें हस्तगत अपील में अपीलांट भी शामिल है) को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 22.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:36 IST
Reason: SelfAttested